न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 250/2015/डिक्री

शांतिलाल मुत्तबन्ना बालू भील
निवासी भडक्या तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीबाई पत्नि बालू भील
2. हजारी पिता केला भील
3. मांगीलाल पिता केला भील
   तीनो निवासी भडक्या तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. नन्दू पत्नि केला भील– फौत
5. राज्य जरिये तहसीलदा चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 01.07.2015 प्रकरण सं. 52/2014

उपस्थित – 1. श्री भेरूलाल वैष्णव – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कृष्णचन्द शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 से 3
3. श्री राधेश्याम वैष्णव – 2

निर्णय दिनांक– 11.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलान्ट ने एक वाद पत्र खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का राजस्व ग्राम भडक्या की आराजी नम्बर 17,18,19,20 किता 4 रकबा 2.12 है0 का प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त आराजीयात पैतृक होकर केला के समय से चली आ रही है तथा केला की मृत्यु उपरान्त उसके पांच पुत्रो हजारी, मांगीलाल, प्यारचंद, बालू एवं नन्दू को जरिये विरासतीय नामान्तकरण प्राप्त हुई तथा बालु के कोई नर संतान नही होने से उसने अपने जीवनकाल मे ही अपने भाई हजारी के लडके शांतिलाल (वादी) को उसकी बाल्यावस्था मे गोद रखा। उसी समय बालू ने एक गोदनामा वादी के पक्ष मे लिखकर साक्षियो के हस्ताक्षर करवाकर वादी को अपना उत्तधिकारी नियुक्त किया तथा वादी के पिता बालु की मृत्यु उपरान्त उसके सारे सामाजिक कार्य निष्पादित किये इसलिये वादी को एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बालु के 1/5 हक व हिस्से के खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द

किया जावे कि वह बिना बंटवाडा करवाये विवादित आराजीयात को रहन, बह, बक्षीस नही करे ना ही किसी अन्य से करावे जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण हेतु नियत था जिसे दिनांक 01/07/2015 को लोक अदालत कैम्प अमरपुरा मे वादी को बिना सूचना दिये ही निरस्त कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था जिसके जवाब एवं साक्ष्य आदि लिवायी जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय मे वादी के पक्ष मे निष्पादित गोदनामे की जांच किस प्रकार करवाही कही पर भी स्पष्ट नही होता है तथा लिखित दस्तावेज के सम्बन्ध मे साक्ष्य आदि से ही निर्णय किया जाना संभव नही है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिसमे पक्षकार उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करे तथा उसी अनुसार निर्णय का अनुतोष चाहे लेकिन प्रस्तुत प्रकरण लोक अदालत मे राजीनामा नही होते हुए भी बिना वादी की बहस सुने गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है वह अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी, क्योकि लोक अदालत का कोई नोटिस भी प्राप्त नही हुआ था। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01/07/2015 को निरस्त फरमायी जाकर प्रकरण को विधिवत गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि लोक अदालतो मे राजीनामा के आधार पर निर्णित पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि पत्रावली मे कही भी राजीनामा प्रस्तुत नही हुआ है तथा न ही लोक अदालत के नोटिस जारी हुए है तथा न ही तामील हुए है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्टस ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल नही हुई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत हेतु न तो नोटिस जारी किये गये है तथा न ही तामील हुए है। लोक अदालत मे दोनो पक्षो की ओर से किसी प्रकार का राजीनामा भी प्रस्तुत नही हुआ है। इस प्रकरण मे कुछ विधिक बिन्दू भी शामिल है जो लोक अदालत मे निर्णय योग्य नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 52/2014 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01/07/2015 अपास्त की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्ययालय को प्रतिप्रेतिषत किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़